रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33002/99 भारत सरकार REGD. No. D.L.-33002/99
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 02] दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 2, 2015/पौष 12, 1936 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 170
No. 02] DELHI, FRIDAY, JANUARY 2, 2015/PAUSA 12, 1936 [N.C.T.D. No. 170

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (राजस्व-1) विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 2 जनवरी, 2015

सं. एफ 3(11)/वित्त (क. एवं स्थाप.)/2009-10/09.—दिल्ली मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 47 के साथ पठित दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 3) की धारा 66 की उप-धारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, निम्नलिखित दानिक्स (50वें बैच के परिवीक्षाधीन) अधिकारियों को दिनांक 01.08.2014 से 31.8.2014 तक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिये सहायक आयुक्त-सह-मूल्य संवर्धित कर अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं। इस अवधि के दौरान उक्त अधिनियम के प्रवर्तन में मूल्य संवर्धित कर आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की सहायता के लिये वार्डों/शाखाओं में स्वतंत्र सहायक आयुक्त-सह-मूल्य संवर्धित कर अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे, अर्थात् :-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम
1	श्री राकेश कुमार	सहायक आयुक्त-सह-मूल्य संवर्धित कर अधिकारी
2	श्री एस. के. चेतन्या	सहायक आयुक्त-सह-मूल्य संवर्धित कर अधिकारी
3	श्री जी. एन. निशिकान्त	सहायक आयुक्त-सह-मूल्य संवर्धित कर अधिकारी
4	श्री राहुल अग्रवाल	सहायक आयुक्त-सह-मूल्य संवर्धित कर अधिकारी
5	श्री जतिन गोयल	सहायक आयुक्त-सह-मूल्य संवर्धित कर अधिकारी
6	श्री पुनित कुमार	सहायक आयुक्त-सह-मूल्य संवर्धित कर अधिकारी
7	श्री मोहम्मद रेहान रजा	सहायक आयुक्त-सह-मूल्य संवर्धित कर अधिकारी
8	श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह	सहायक आयुक्त-सह-मूल्य संवर्धित कर अधिकारी
9	श्री शिवम तिओतिया	सहायक आयुक्त-सह-मूल्य संवर्धित कर अधिकारी

10	श्री कुशलपाल सिंह	सहायक आयुक्त–सह–मूल्य संवर्धित कर अधिकारी
11	सुश्री मिताली गोयल	सहायक आयुक्त–सह–मूल्य संवर्धित कर अधिकारी
12	श्री कृष्ण कुमार	सहायक आयुक्त–सह–मूल्य संवर्धित कर अधिकारी

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप–राज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

रवीन्द्र कुमार, उप–सचिव–VI (वित्त)

FINANCE (REVENUE-I) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 2nd January, 2015

No. F. 3(11)/Fin(T&E)/2009-10/DSVI/09.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 66 of the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005), read with rule 47 of the Delhi Value Added Tax Rules, 2005, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint the following DANICS (probationers 50th batch) officers as Assistant Commissioners cum VATO for the training programme from 1st August, 2014 to 31st August, 2014. During this period they will work as independent Assistant Commissioner cum VATO in Wards/Branches to assist the Commissioner of Value Added Tax, Government of National Capital Territory of Delhi, in the administration of the said Act, namely:—

S. No.	Name of the Officer (Sh/Smt/Ms)	Designation
1	Sh. Rakesh Kumar	Assistant Commissioner cum VATO
2	Sh. S.K. Chaitanya	Assistant Commissioner cum VATO
3	Sh. G.N. Nishikant	Assistant Commissioner cum VATO
4	Sh. Rahul Aggarwal	Assistant Commissioner cum VATO
5	Sh. Jatin Goyal	Assistant Commissioner cum VATO
6	Sh. Puneet Kumar	Assistant Commissioner cum VATO
7	Sh. Mohd Rehan Raza	Assistant Commissioner cum VATO
8	Sh. Shailendra Kr. Singh	Assistant Commissioner cum VATO
9	Sh. Shivam Teotia	Assistant Commissioner cum VATO
10	Sh. Kushalpal Singh	Assistant Commissioner cum VATO
11	Ms Mitali Goel	Assistant Commissioner cum VATO
12	Sh. Krishan Kumar	Assistant Commissioner cum VATO

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

RAVINDER KUMAR, Dy. Secy.-VI (Finance)

गृह (पुलिस–2) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 2 जनवरी, 2015

सं. फा. **2/1/88** -गृह पुलिस–2/011.—चूंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल इस बात से संतुष्ट हैं कि ऐसा करना आवश्यक है :

इसलिये, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 2 के खण्ड (ई) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल यह निर्देश देते हैं कि दिल्ली पुलिस आयुक्त भी 19–01–15 से 18–04–15 तक की अवधि के दौरान उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) की शक्तियों का प्रयोग निरोध प्राधिकारी के रूप में कर सकते हैं ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप–राज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

राजेन्द्र कुमार आहुजा, उप सचिव (गृह)

HOME (POLICE-II) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 2nd January, 2015

No. F. 2/1/88-HP-II/Part/011.—Whereas the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is satisfied that it is necessary to do so;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3, read with clause (e) of Section 2 of the National Security Act, 1980, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to direct that during the period of 19-1-2015 to 18-4-2015 the Commissioner of Police, Delhi may also exercise the powers of detaining authority under sub-section (2) of the section 3 of the aforesaid Act.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the
National Capital Territory of Delhi,

RAJENDER KUMAR AHUJA, Dy. Secy. (Home)

व्यापार एवं कर विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 2 जनवरी, 2015

सं. फा. 5(54)/पोलीसी/वैट/2013/पार्ट फा./659–670.—जबकि विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के पारस्परिकता के सिद्धांतों के अनुरूप, नई दिल्ली में लातविया गणराज्य के दूतावास की सरकारी खरीद एवं इसके राजनयिकों के द्वारा निजी खरीद के पक्ष में, वैट रिफंड की छूट/सुविधा प्रदान करने के लिये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार से पत्र संख्या डी–II/451/12(1)/2014 दिनांक 17–11–2014 के द्वारा, अनुरोध किया गया है।

2. और जबकि मैं, संजीव खीरवार, आयुक्त, मूल्य संवर्धित कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, यह मानता हूं कि ऐसा करना जनसाधारण के हित में समीचीन है।

3. अब इसलिए, दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 03) की धारा 103 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की छठी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करता हूं, अर्थात्:–

संशोधन

4. दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 03) की छठी अनुसूची में, प्रविष्टि संख्या 1 के भाग–क गणराज्यों की सूची में क्रम संख्या ए–146, के उपरांत नई उप–प्रविष्टि सन्निविष्ट की जाएगी, अर्थात् :–

क्रम संख्या	पंजीकरण संख्या	गणराज्य का नाम
ए–147	07829946498	लातविया गणराज्य

उपरोक्त संशोधन दिनांक 22 सितम्बर, 2014 से लागू होगा ।

संजीव खीरवार, आयुक्त, मूल्य संवर्धित कर

DEPARTMENT OF TRADE AND TAXES

NOTIFICATION

Delhi, the 2nd January, 2015

No. F. 5(54)/Policy/VAT/2013/PF/659-670.—Whereas the Ministry of External Affairs, Government of India, in accordance with the principle of reciprocity has requested the Government of National Capital Territory of Delhi to grant facility of VAT exemption/refund to Embassy of the Republic of Latvia in New Delhi, for its official use as well as for the personal use of the diplomats *vide* their Letter No. D-II/451/12(1)/2014 dated 17th November, 2014.

2. And, whereas, I, Sanjeev Khirwar, Commissioner, Value Added Tax, Government of National Capital Territory of Delhi, am of the opinion that it is expedient in the public interest to do so.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 103 of the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 03 of 2005), I hereby make the following amendments in the Sixth Schedule of the said Act, namely:—

AMENDMENTS

4. In the Sixth Schedule appended to the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 03 of 2005), in Entry No.1, in Part-A- List of Embassies, after Sl.No. A-146, the following shall be inserted, namely:-

Sl. No.	Registration No.	Name of the Embassy
A-147	07829946498	Republic of Latvia.

The above amendment shall come into force with effect from 22nd September, 2014

SANJEEV KHIRWAR, Commissioner, Value Added Tax

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 2 जनवरी, 2015

फा. सं. 13/159/सीसी/एमबी/श.वि./2014/07.—ईस्ट लक्ष्मी मार्किट सीनियर सिटीजन रेजीडेंट एसोसिएशन बनाम दिल्ली नगर निगम एवं अन्य नामक 2011 की डब्ल्यू पी (सी) संख्या 5083 में माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 21–08–2014 के आदेश में भू–स्वामित्व अभिकरणों तथा सेवा उपलब्धकर्त्ताओं के "समन्वय बोर्ड" स्थापित करने के लिये निदेश दिया गया है ताकि उसकी रूप रेखा का विवरण प्रस्तुत किया जा सके। भू–स्वामित्व वाले कौन से अभिकरण का क्षेत्र/मार्ग हैं और विभिन्न नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा अतिक्रमण हटाने के लिये कौन सा प्राधिकरण उत्तरदायी है। माननीय न्यायालय ने यह भी निदेश दिया था कि प्रत्येक प्राधिकरण की कूटबद्ध योजना तथा कार्यक्षेत्र/विस्तार एवं क्षेत्राधिकार इस सरकार की वेबसाइट पर उल्लिखित होना चाहिए ताकि राहत पाने के लिये कोई साधारण नागरिक कौन से प्राधिकरण से संपर्क करें और इसकी जानकारी उसे हो।

दिल्ली भू–आकाशीय आधार सामग्री अवसंरचना अधिनियम, 2011 की धारा 11 में "विनियामक प्राधिकरण" के उत्तरदायित्वों में से एक वही अर्थात् माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यथा निदेशित "समन्वय बोर्ड" है, इसके द्वारा निदेश दिया जाता है कि दिल्ली भू–आकाशीय आधार सामग्री अवसंरचना, अधिनियम, 2011 की धारा 11 में यथा उपबंधित विनियामक प्राधिकरण "समन्वय बोर्ड" के रूप में कार्य करेगा। अधिनियम में यथा उपबंधित विनियामक प्राधिकरण का गठन निम्न प्रकार है:–

(क)	मुख्य सचिव	अध्यक्ष
(ख)	भारत के महासर्वेक्षक	सदस्य
(ग)	सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
(घ)	सचिव, शहरी विकास विभाग	सदस्य
(ङ)	सचिव, विधि एवं न्याय विभाग	सदस्य
(च)	सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	सदस्य–सचिव

"समन्वय बोर्ड" के कर्त्तव्य का पालन करने वाला "विनियामक प्राधिकरण" किसी भू–स्वामित्व वाले अभिकरण/सेवा उपलब्ध कराने वाले अर्थात् वन विभाग, दिल्ली जल बोर्ड, राजस्व विभाग, ऊर्जा विभाग, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, दिल्ली विकास प्राधिकरण, तीन नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्, डीसीबी को अपने कार्यों के शीघ्रता से निपटाने के लिये यथावश्यक सहयोजित भी कर सकेंगे।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

राजेन्द्र कुमार, सचिव (शहरी विकास)

DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 2nd January, 2015

F. No. 13/159/CC/MB/UD/2014/07.—In order dated 21-08-2014, Hon'ble High Court in WP(C) No. 5083 of 2011 titled East Laxmi Market Senior Citizen Resident Association Vs. MCD & Ors., has directed for setting up of a "Coordination Board" of land owning agencies and service providers so as to delineate as to which land owning agency owns which area/road and which authority is responsible for providing various civic amenities as well as for removal of encroachments. The Hon'ble Court had further directed that coded plan as well as the scope and jurisdiction of each authority should be spelt out on the website of this Government, so that a common citizen knows as to which authority is to be approached for which relief.

Section 11 of Delhi Geospatial Data Infrastructure Act, 2011 provides for composition of "Regulatory Authority". As one of the responsibilities of this "Regulatory Authority" is same as that of "Coordination Board" as directed by Hon'ble High Court, it is hereby directed that the regulatory authority as provided in section 11 of Delhi Geospatial Data Infrastructure Act, 2011 shall function as "Coordination Board" as well. The constitution of regulatory authority as provided in the Act is as follows :

a.	Chief Secretary	Chairman
b.	Surveyor General of India	Member
c.	Secretary, Deptt. of Finance	Member
d.	Secretary, Deptt. of Urban Development	Member
e.	Secretary, Deptt. of L & J	Member
f.	Secretary, Deptt. of IT	Member-Secretary

The "Regulatory authority", which will also perform the function of "Coordination Board", may co-opt any other land owning agencies/service providers namely Forest Deptt., DJB, Revenue Deptt., Power Deptt., I&FC, DDA, three Municipal Corporations, NDMC, DCB as it deems necessary for expedient discharge of its functions.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of
the National Capital Territory of Delhi,

RAJENDRA KUMAR, Secy. (U.D.)

68 DG 115-2

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.